



प्रेस नोट - दिनांक 25.12.2024

थाना दही, जनपद उन्नाव ।



गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दही पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 25.12.2024 को थानाध्यक्ष दही उ0नि0 श्री संजीव कुमार मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 776/2024 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त आकाश तिवारी उर्फ मोनू पुत्र रज्जन लाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी कोरारी कलां थाना अचलगंज जनपद उन्नाव को अन्नपूर्णा बाईपास उन्नाव से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आकाश तिवारी उर्फ मोनू पुत्र रज्जन लाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी कोरारी कलां थाना अचलगंज जनपद उन्नाव।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजीव कुमार
2. उ0नि0 श्री राजनारायण सिंह परमार
3. हे0का0 अम्बेश कुमार



धोखाधड़ी कर बैंक से पैसे निकालने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर बैंक से पैसे निकालने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 13.04.2024 को वादिनी श्रीमती मुन्नी तिवारी पत्नी स्व० कृष्ण लाल तिवारी निवासिनी मोहल्ला भटपुरी कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी थी कि उसका बड़ा बेटा मंगला प्रसाद तिवारी उम्र करीब 40 वर्ष ने मेरी दो एफडी चोरी करके धोखा व कपटपूर्ण तरीके से बैंक ले जाकर फर्जी तरीके से उक्त एफडी की धनराशि निकाल ली गयी है। जिसके संदर्भ में थाना बांगरमऊ पर मु०अ०स०112/24 धारा 380/420/467/468/471 भादवि बनाम मंगला प्रसाद उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 25.12.2024 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मंगला प्रसाद तिवारी पुत्र स्व० कृष्ण लाल तिवारी निवासी मो० भटपुरी कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष को कल्याणी नदी तिराहा पुल से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मंगला प्रसाद तिवारी पुत्र स्व० कृष्ण लाल तिवारी निवासी मो० भटपुरी कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास

- 1.मु०अ०सं० 461/17 धारा 406 भादवि थाना बांगरमऊ
- 2.मु०अ०सं० 161/17 धारा 323/506/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना आशियाना लखनऊ

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1.अपराध निरीक्षक श्री रामनारायण सिंह
- 2.का० अंकित सिंह

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 25.12.2024 को उ०नि० श्री कल्लूराम यादव मय हमराह का० अरविन्द कुमार के द्वारा थाना सफीपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 330/24 धारा 363/366/376 भा०द०वि० व 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अरुण पुत्र दिनेश नि० ग्राम मवईलाल थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष को ग्राम भैसहरा के पास से गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरुण पुत्र दिनेश नि० ग्राम मवईलाल थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री कल्लूराम यादव
2. का० अरविन्द कुमार



थाना सफीपुर- दिनांक 23.12.2024 को उ०नि० कल्लूराम यादव मय हमराह का० जितेन्द्र नादर द्वारा वारण्टी अभियुक्त यासीन खाँ पुत्र बसीर खाँ नि० मो० सराय खुर्रम कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 55 वर्ष सम्बन्धित केस सं० 8170/22 अपराध सं० 312/01 धारा 279/338/427 भादवि पंजीकृत थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीपुर को मोहल्ला सराय खुर्रम कस्बा सफीपुर से गिरफ्तार मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



प्रेस नोट - दिनांक 25.12.2024

थाना बेहटा मुजावर, जनपद उन्नाव ।



05-05 हजार रुपये के दो इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा 05-05 हजार रुपये के दो इनामिया वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 15.10.2023 को वादी मुकदमा श्री चन्दन लाल पुत्र सूरजबली निवासी ग्राम अल्लीपुर टंडवा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई द्वारा उनके पुत्र मंजेश कुमार को ससुरालीजनों द्वारा दुष्प्रेरित करने पर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 207/2023 धारा 306 भादवि का 1.बिट्टो पत्नी मंजेश कुमार, 2.जगुन्नाथ उर्फ रघुनाथ पुत्र मुल्ला, 3.सुनीता पत्नी जगुनाथ उर्फ रघुनाथ, 4.दन्तू उर्फ मनोज पुत्र जगुन्नाथ उर्फ रघुनाथ, 5.रामबालक पुत्र जगुन्नाथ उर्फ रघुनाथ, 6.छोटू उर्फ छोटेलाल पुत्र जगुन्नाथ उर्फ रघुनाथ निवासी गण ग्राम गौरिया कला थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1.बिट्टो पत्नी मंजेश कुमार, 2.सुनीता पत्नी जगुनाथ उर्फ रघुनाथ, 3.रामबालक पुत्र जगुन्नाथ उर्फ रघुनाथ, 4.छोटू उर्फ छोटेलाल पुत्र जगुन्नाथ उर्फ रघुनाथ निवासी गण ग्राम गौरिया कला थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। परन्तु अभियुक्तगण 1.जगुन्नाथ उर्फ रघुनाथ पुत्र मुल्ला, 2. दन्तू उर्फ मनोज पुत्र जगुन्नाथ उर्फ रघुनाथ निवासी गण ग्राम गौरिया कला थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव गिरफ्तारी से बचकर लगातार फरार चल रहे थे। जिनके विरुद्ध NBW दिनांक 17.01.2024 को तथा 82 सीआरपीसी दिनांक 29.05.2024 को प्राप्त किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयाश जारी थे। वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु जनता का सहयोग प्राप्त करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव द्वारा 5-5 हजार रुपए प्रत्येक पर ईनाम घोषित किया गया। गिरफ्तारी के प्रयासों के क्रम में दिनांक 24.12.2024

को दोनों वांछित अभियुक्तगणों को थाना क्षेत्र के पतेली पुल चौराहे से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.रघुनाथ उर्फ जगुन्नाथ पुत्र स्व० मुल्ला निवासी गौरिया कलां थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव उम्र 59 वर्ष,
- 2.दन्तू प्रसाद उर्फ मनोज पुत्र रघुनाथ उर्फ जगुन्नाथ निवासी गौरिया कलां थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव उम्र 34 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1.व०उ०नि० मोर मुकुट पाण्डेय
- 2.हे०का० सुभाष चन्द्र
- 3.का० प्रिस कुमार

सर्विलांस टीम -

- 1.हे०का० राधेश्याम
- 2.का० अरुण कुमार



प्रेस नोट - दिनांक 25.12.2024

थाना बिहार, जनपद उन्नाव ।



दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 08.11.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बिहार पर मु0अ0सं0 266/2024 धारा 504/506/376 भादवि बनाम अभियुक्त इशू पटेल पुत्र सूर्य प्रसाद उर्फ शिव प्रसाद निवासी ग्राम चांदपुर पो0 पाटन थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष पंजीकृत किया गया । दिनांक 24.12.2024 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त अभियुक्त इशू पटेल पुत्र सूर्य प्रसाद उर्फ शिव प्रसाद निवासी ग्राम चांदपुर पो0 पाटन थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष को सुमेरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

इशू पटेल पुत्र सूर्य प्रसाद उर्फ शिव प्रसाद निवासी ग्राम चांदपुर पो0 पाटन थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.म0उ0नि0 रेखा दुबे
- 2.का0 मोनू कुमार





प्रेस नोट - दिनांक 25.12.2024

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

अवैध तमंचे के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.12.2024 को कोतवाली गंगाघाट पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त को मय नाजायज तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 536/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

फहीम पुत्र रसीद निवासी मनोहर नगर पार्क के पास थाना- गंगाघाट जनपद- उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी-

01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह
2. हे0का0 शिवराज यादव
3. का0 विश्वजीत भारती
4. का0 सौरभ कुमार
5. का0 अनूप कुमार



